

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

कार्यालय— सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

अति-अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना- 01/2025-26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों के द्वारा रेशम कृषकों/ कार्यालय हेतु कीटपालन, बीजागार एवं फार्म के लिये उपस्कर/ सामग्री आदि क्रय किया जाना है, उक्त के प्रयोजनार्थ इच्छुक इकाई/प्रतिष्ठान से सीलबंद (लाह से) निविदा/कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

1. कार्यालय में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि— दिनांक 28.07.2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक।
2. निविदा जमा करने का स्थान— सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), प0 सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।
3. निविदा खोलने की तिथि— दिनांक 29.07.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे।
4. EMD की राशि— रू0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र।
5. सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा एवं न्यूनतम दर वाले आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।
6. चयनित निविदाकर्ता को कार्यादेश निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर सामग्री की आपूर्ति कार्यालय (कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों) में करते हुये करना होगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय विड में अंकित किये गये जी0एस0टी0 सहित सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त अन्य कोई कर अथवा व्यय भुगतान नहीं किया जायेगा और न ही कोई अग्रिम भुगतान किया जायेगा।
8. इस निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

नोट:— निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें एवं सामग्रियों/उपस्कर की सूची का विवरण कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता/ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इससे संबंधित सूचना कार्यालय की वेबसाईट—www.adicbsa.com एवं हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची की वेबसाईट—<https://jharsericulture.jharkhand.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

ह0/—

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय
कार्यालय- सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा
अति-अल्पकालीन निविदा / कोटेशन आमंत्रण सूचना- 01 / 2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 का मैं कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों के द्वारा तसर रेशम कृषकों एवं कार्यालय प्रयोजनार्थ कीटपालन एवं बीजागार सामग्री / उपस्कर तथा राजकीय फार्म हेतु वर्मी आदि क्रय किया जाना है। उपरोक्त क्रम में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में उपस्कर / सामग्री आदि क्रय के निमित्त इच्छुक इकाई / प्रतिष्ठान से दिनांक- 28.07.2025 के अपराह्न 05.00 बजे तक निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन सीलबंद निविदा / कोटेशन आमंत्रित की जाती है। स-समय प्राप्त कोटेशन को दिनांक- 29.07.2025 को ही पूवाहन् 11.00 बजे सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। निविदा / कोटेशन जमा करने से संबंधित नियम-शर्तों का विवरण एवं सामाग्रियों / उपस्कर की सूची (परिशिष्ट- ख) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इससे संबंधित सूचना कार्यालय की वेबसाईट -www.adicbsa.com एवं हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची की वेबसाईट- <https://jharsericulture.jharkhand.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

नियम एवं शर्तें

1. इकाई / प्रतिष्ठान जी0 एस0 टी0 निबंधित होना चाहिये।
2. रेशम प्रक्षेत्र के किसी भी कार्यालय (झारखण्ड सरकार / केन्द्र सरकार) में रेशम कीटपालन / बीजागार सामग्री उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिये।
3. निविदा / कोटेशन के साथ अग्रधन (EMD) के रूप में रू0 1,00,000 /- (एक लाख रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) के नाम से देय होगा एवं चाईबासा में भूगतेय होगा।
4. बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से ही बना होना चाहिए।
5. सामाग्रियों / उपस्कर की सूची -परिशिष्ट- ख पर अंकित है।
6. तकनीकी निविदा के कागजात / शर्तें परिशिष्ट- क के अनुसार संलग्न करना होगा एवं लिफाफा के उपर तकनीकी निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।
7. वित्तीय निविदा अलग लिफाफा में देना है जिसमें सिर्फ सभी सामाग्रियों / उपस्कारों का मूल्य प्रति ईकाई जी0 एस0 टी0 के दर को प्रदर्शित करते हुये, जी0 एस0 टी0 सहित अंकित होना चाहिये तथा लिफाफा

- के उपर वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। साथ ही आवश्यकतानुसार सामाग्रियों/उपस्कारों के ब्राण्ड या कम्पनी का नाम भी अंकित करना अनिवार्य है।
8. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफों को सील कर पुनः एक अन्य लिफाफा में डालकर लाह से सीलबंद कर कार्यालय में समर्पित करना होगा। बाहरी लिफाफा लाह से सीलबंद नहीं रहने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 9. तकनीकी निविदा में सक्षम इकाई का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
 10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
 11. चयनित इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयों आवेदन देकर अपना EMD (बैंक ड्राफ्ट) उसी दिन वापस प्राप्त कर सकते हैं।
 12. चयनित इकाईयों का अग्रधन की राशि चालू वित्तीय वर्ष में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में उनके मांग के अनुरूप सामग्रीयों/उपस्कारों की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति किये जाने के स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त वापस की जायेगी।
 13. क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण के उपरान्त क्रय आदेश निर्गत होने की स्थिति में 10 दिनों के अन्दर सामाग्री/उपस्कारों की आपूर्ति संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र निश्चित रूप से करनी होगी।
 14. चयनित इकाई/इकाईयों को क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण के उपरान्त निर्धारित दर पर ही कोल्हान प्रक्षेत्र के सभी अग्र परियोजना केन्द्रों में उनके माँग/मात्रा के अनुरूप आपूर्ति करनी है।
 15. अग्र परियोजना केन्द्रों में सामाग्री/उपस्कारों की आपूर्ति हेतु सामाग्री/उपस्कारों के निर्धारित मुल्य के अतिरिक्त परिवहन व्यय या अन्य कोई व्यय का भूगतान नहीं किया जायेगा अर्थात चयनित इकाई को स्वयं के व्यय पर कार्यालय (कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों) तक सामाग्री उपलब्ध करानी होगी अन्य कोई व्यय स्वीकार/भूगतान नहीं किया जायेगा।
 16. स-समय सामाग्री/उपस्कारों की आपूर्ति संबंधी अग्र परियोजना केन्द्र में नहीं किये जाने की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं इकाई/प्रतिष्ठान को Blacklist करने के निमित्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है।
 17. सभी भूगतान कोषागार द्वारा अनुमान्य कटौती के उपरान्त किया जायेगा।
 18. क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरें अधिकतम एक कैलेंडर वर्ष एवं न्यूनतम चालू वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगी।
 19. झारखण्ड अधिप्राप्ति नीति 2014 (Jharkhand Procurement Policy-2014) यथा संशोधित 2019 के प्रावधान के अनुसार MSEs प्रक्षेत्र के इकाईयों को आवश्यक छूट/लाभ प्रदत्त होगी।

20. Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निविदा की शर्तें लागू होंगी। अधिसूचना सं- 2315, दिनांक- 04.10.2024, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार की द्वारा अधिसूचित किया गया है।
21. बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी को निविदा को रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

हो/-
सहायक उद्योग निदेशक (रिशम),
प० सिंहभूम, चाईबासा।

परिशिष्ट- 'क'- (तकनीकी निविदा की शर्तें)
निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता को तकनीकी लिफाफे में निम्न कागजाद को संलग्न करना अनिवार्य है-

1. पैन कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
2. जी0 एस0 टी0 निबंधन की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
3. अग्रधन (EMD) के रूप में रू0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो सहायक उद्योग निदेशक (रिशम) के नाम से देय होगा एवं चाईबासा में भूगतेय होगा तथा बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से ही बना होना चाहिए।
4. अद्यतन जी0 एस0 टी0 का रिटर्न फाईल की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति (तीन माह से पूर्व का मान्य नहीं)।
5. विगत तीन वर्ष (Assesment year- 2023-24, 2024-2025 एवं 2025-26) का आयकर रिटर्न फाईल की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
6. उद्यम निबंधन का प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
7. आपूर्तिकर्ता के पूर्व से Blacklisted नहीं होने से संबंधित शपथ-पत्र। (छायाप्रति मान्य नहीं होगा तथा निविदा प्रकाशित होने के बाद की तिथि का बना होना चाहिये)
8. अधिकृत विक्रेता/ संबंधित कम्पनी के मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।

ह०/-
सहायक उद्योग निदेशक (रिशम),
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय
कार्यालय- सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा
अति-अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना- 01/2025-26

सामग्री का विवरण (परिशिष्ट- ख)
समूह- क (कीटपालन, बीजागार, फॉर्म एवं कार्यालय से संबंधित सामग्री)

क्र०	सामग्री का नाम	इकाई	अभियुक्ति
1	स्लाईड (ब्लू स्टार)	प्रति पीस	
2	कभर स्लीप (ब्लू स्टार)	प्रति पीस	
3	ब्लोटिंग पेपर (Size- A3)	प्रति पीस	
4	चुना (Slaked lime in powder form in 10 kg packet)	प्रति कि०ग्रा०	
5	ब्लीचिंग पाउडर (35-39%)	प्रति कि०ग्रा०	
6	फॉर्मलीन 37-41% (05 ली० जार)	प्रति ली०	
7	मारकीन कपड़ा	प्रति मीटर	
8	लॉईफबॉय साबुन (medium size-56 gm)/ Big size-125 gm	प्रति पीस	
9	सोडियम हाईपोक्लोराइट (500 ml)	प्रति पीस	
10	डिटेरजेंट पाउडर (घड़ी 01 कि०ग्रा० पैकेट)	प्रति कि०ग्रा०	
11	नोज मास्क (कपड़ा बाला)	प्रति पीस	
12	नोज मास्क (डिस्पोजेबल- 50 पीस पैक)	प्रति पैकेट	
13	सैनेटाईजर - 100 मि०ली० / 200 मि०ली०	प्रति पीस	
14	हैंड ग्लब्स (मोटा बाला)	प्रति पीस	
15	कैची साईज 8-9 इन्च (Stainless steel with plastic handle)	प्रति पीस	
16	जूट सुतली (मेडियम थिकनेस)	प्रति कि०ग्रा०	
17	डिटॉल 60 मि०ली०	प्रति पीस	

18	फेस सिल्ड मास्क	प्रति पीस	
19	नीम खली	प्रति कि०ग्रा०	
20	वर्मी कम्पोस्ट	प्रति कि०ग्रा०	
21	टुथपीक (wooden)	प्रति पैकेट	

नोट:- जिन सामग्रीयों में ब्रण्ड या कम्पनी का नाम अंकित नहीं किया गया है, तथा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अलग-अलग ब्रण्ड या कम्पनी का वित्तीय निविदा में दर अंकित किया गया हो तो वैसी स्थिति में न्यूनतम मुल्य एवं गुणवत्ता दोनों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा इस संदर्भ में क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

ह०/—
सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प० सिंहभूम, चाईबासा।